

भाग - II

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या FP/UP/WATER/45140/2020

7. परियोजना/स्कीम का स्थान

- उ०प्र० जल निगम, झांसी द्वारा खडैनी से गुरसरांय मार्ग पर जल पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत एरच-गुरसरांय- मऊरानीपुर प्रान्तीय मार्ग सं० 31 के किमी० 16 से 27 तक दांयी पटरी लम्बाई 10.900 किमी० चौड़ाई 60 सी० पेयजल पाइप लाइन बिछाने से मार्ग 0.6540 हे० प्रभावित संरक्षित वनभूमि पर वानिकी कार्य प्रयोग हेतु अनुमति

- (i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र
- (ii) जिला
- (iii) वन प्रभाग
- (iv) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)
- (v) वन की कानूनी स्थिति
- (vi) हरियाली का घनत्व
- (vii) प्रजातिवार वैज्ञानिक नाम और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)।
सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ०आर०एल०, एफ०आर०एल०-2 मीटर पर परिगणना और एफ०आर०एल० मीटर भी संलग्न किए जाए
- (viii) भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी
- (ix) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी
- (x) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणीयां अनुबंधित की जाए)

- उत्तर प्रदेश
- झांसी
- झांसी वन प्रभाग, झांसी
- 0.6540 है०
- संरक्षित वनभूमि
- 0.30
- शून्य
- भूक्षरण के लिए संवेदनशील नहीं है।
- शून्य
- प्रस्तावित वन भूमि, वन्य जीव अभयारण्य जैव मण्डल बाघ रिजर्व हाथी कोरीडोर का भाग नहीं है

- (xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा दें । - नहीं है
- (xii) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें । - नहीं है
8. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, जो जांचे गये विकल्पी के ब्यौरे के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है - प्रस्तावित संरक्षित वनभूमि अपरिहार्य एवं न्यूनतम है
9. क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है हाँ/नहीं यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं। - नहीं है
10. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा - संलग्न है
- (i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवकमित वनक्षेत्र, आस-पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों का आकार - प्रतिपूरक वृक्षारोपण 1.50 है0 दुगने अवनत वनभूमि पर किया जा रहा है भूखण्ड की सं0-1
- (ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/अवकमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप - संलग्न है
- (iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयक एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि - शीशम, नीम, सिरस, सागौन आदि प्रजातियाँ गडढा में रोपित की जायेगी
- (iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय - 348073.00 रू0 (तीन लाख अड़तालीस हजार तिहेत्तर रू0 मात्र)
- (v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण के सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए। - संलग्न है

- 11 जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः - संलग्न है
उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये
तथ्यों को दशाति हुए संलग्न करे।
- 12 विभाग/जिला प्रोफाईल
- (i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र - 5054 वर्ग किमी०
- (ii) जिले का वन क्षेत्र - 33422.920 है०
- (iii) मामलों की सं० सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में - 13 (तेरह)
लाया गया कुल वन क्षेत्र क्षेत्रफल-188.23732 है०
- (iv) 1980 से जिला/प्रभागों में निर्धारित कुल प्रतिपूरक
वनीकरण
- (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन - 98.099 है०
भूमि
- (ख) वनेतर भूमि पर -
- (v) प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति
- (क) वन भूमि पर - 94.03 है०
- (ख) वनेतर भूमि पर - 734.209 है०
- 13 प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा
लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष
सिफारिश प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने हेतु संस्तुति
की जाती है

तिथि -

स्थान - झांसी

हस्ताक्षर :

नाम :

सरकारी मोहर :

वी०के० मिश्र
वी०के० मिश्र
प्रभागीय तनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग झांसी